संख्या: 42 / 2022 / 1617 ई-2/तेरह-2022- 99077

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारअनुभाग-2 **लखनऊःदिनांकः20 सितम्बर, 2022**

विषय- मेसर्स मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि., नगीना रोड, जनपद बिजनौर को आसवनी में पूर्व से स्थापित शीरा आधारित 100 कि.ली. प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के प्लान्ट को दोहरी फीड अर्थात् शीरे के साथ-साथ अनाज(ग्रेन) से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी -184/दो-प्रा.डी.-70/मोहित,दिनांक 06-06-2022, एवं पत्र संख्या: जी -206 / दो-प्रा.डी.-70/ मोहित दिनांक 24-08-2022 एवं इसी सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक दिनांक 06-09-2022 के निर्गत कार्यवृत्त संख्या:-1571ई-2/तेरह-2022-99077 दिनांक 12-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित में मेसर्स मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि., नगीना रोड ,जिला- बिजनौर को आसवनी में पूर्व से स्थापित शीरा आधारित 100 कि.ली. प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के प्लान्ट को दोहरी फीड अर्थात् शीरे के साथ-साथ अनाज से अल्कोहल निर्माण हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवनी द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा ।

(2) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह- 2021-107/ 2013 दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवथानुसार मुख्य सचिव , उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओंको ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आसवक के ऊपर पुराने बकाये के लम्बित पांच प्रकरण, जिनमें मा.उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गयी है। उक्त पांचो प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय पारित किया जायेगा वह आसवक लिए बाध्यकारी होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।